न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी :– आशाराम डूडी आर.ए.एस.

अपील संख्या 2016/00209 (260/2016) 223 आरटीएक्ट

1. हाकमअली पुत्र शेर मोहम्मद जाति कुम्हार मुसलमान निवासी वार्ड सं0 23 नोहर तहसील नोहर।
2. महबूब
3. मौसम
4. रोशन
5. बिलाल
6. रूस्तम
7. असगर
8. फारूख
9. अस्क अली
10. जैनम
11. आविदा
12. जैतुन बेवा अहमदअली

(2 से 12) पुत्र/पुत्रियान अहमद अली जाति कुम्हार मुसलमान निवासी वार्ड सं0 27 नोहर तहसील नोहर।

13. सिकन्दर
14. अब्दुल अजीज
15. गुलजारा
16. नजमा

(13 से 16) पि0 मेहरदीन पुत्र निजामदीन जाति कुम्हार मुसलमान निवासी वार्ड सं0 25 नोहर तहसील नोहर।

17. फिरोज
18. बशीरा

(17 व 18) पि0 लियाकत अली जाति कुम्हार मुसलमान वार्ड नं. 26 तहसील नोहर। – अपीलान्ट

बनाम

1. देवीलाल पुत्र दुलीचन्द जाति जाट निवासी नोहर तहसील नोहर।
2. पुरूषोतम वल्द रामकिशन जाति सर्राफ निवासी भादरा तहसील भादरा।
3. सरवन कुमार
4. कौर चन्द

(3 व 4) पि0 रखाराम जाति महाजन अग्रवाल निवासी खिमोवाला तहसील भटिण्डा पंजाब। –असल रेस्पोडेण्ट

5. रजाक
6. सरीफ
7. मकबूल

(5 से 7) पि0 नूर माहम्मद वल्द सुलेमान जाति कुम्हार निवासी नाहर तहसील नोहर।

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ

8. रोशनी } पुत्रीयान नूर मोहम्मद जाति कुम्हार मु0 निवासी नोहर
9. अस्मां } तहसील नोहर। –तरतीबी रेस्पोडेण्ट

10. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

–असल रेस्पोडेण्ट्स

अपील विरूद्व निर्णय दिनांक 28.01.2011 व डिक्री दिनांक 28.03.2011 द्वारा सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर प्र. सं. 119/2009 बअनवानी पुरूषोतम बनाम रजाक आदि

श्री मदन मोहन जोशी अधिवक्ता अपीलाण्ट की ओर से ।

श्री मांगेराम गोदारा अधिवक्ता रेस्पो0 सं0 10 की ओर से

निर्णय दिनांक – 25.02.2020

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि रेस्पोडेण्ट संख्या 2 ने रेस्पोडेण्ट संख्या 5 ता 10 के विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी नोहर के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सन 1955 की धारा 53 के अन्तर्गत एक वाद यह कहते हुए प्रस्तुत किया कि वादी एवं प्रतिवादीगण सं0 1 ता 5 की मुश्तरका खाता की भूमि रोही मौजा चक नं. 1 एन.एच.आर.–ए के खाता संख्या 40/45 के प0 नं0 306/437 (44) कि. नं. 3/0.253, 8/0.253, 9/0.253, 12/0.253 कुल चार किता 1.012 है0 नहरी कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादी एवं प्रतिवादीगण ने वादग्रस्त भूमि को खरीद के समय से ही बाहमी तौर पर आपसी सहमति से बंटवारा किया हुआ है मुताबिक बंटवारानामा के वादी के कब्जा काश्त में कि0 नं0 3, 9 व 12 कब्जा काश्त में है तथा प्रतिवादीगण नं. 1 ता 5 के कब्जा में किला नं. 8 है जिसमें उन्होंने अपना रिहायशी मकान बना रखा है और इसी अनुसार काश्त करते आ रहे हैं। वादग्रस्त भूमि मुश्तरका दर्ज रहने से सींव व लगान काश्त इत्यादि बाबत आपस में तनाजा रहता है इसलिए वादी मुताबिक बाहमी बंटवारा के अपनी कृषि भूमि का खाता एवं लगान अलग अलग करवाना चाहते हैं। वादीगण ने प्रश्नगत भूमि को अर्जीदावा की मद सं0 2 में दर्ज है का मद नं. 3 के अनुसार मुताबिक बाहमी बंटवारा वादी एवं प्रतिवादीगण के अलग अलग दर्ज कर खाता एवं लगान कायम करने का अनुतोष मांगा। प्रतिवादीगण

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

संख्या 1 ता 3 ने जवाब इस आशय का पेश किया कि उक्त भूमि शामिल खाते की तथा वादी व प्रतिवादीगण के बीच कभी भी बाहमी बंटवारा नहीं किया गया है। इसलिए मुताबिक हिस्सा व किस्म भूमि के खाता व लगान तस्दीक किया जाकर अलग–अलग निशान देही दी जावे। विचारण न्यायलाय ने अर्जीदावा एवं जवाब दावा के आधार पर वाद वादी डिक्री किया जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील बतौर तृतिय पक्ष प्रस्तुत की है।

2. रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ता 9 को रजिस्टर्ड सम्मन भेजे गये उनकी तरफ से कोई उपस्थित नहीं आया। रेस्पोडेण्ट संख्या 10 की तरफ से विद्वान राजकीय अधिवक्ता उपस्थित। अपीलाण्ट एवं राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन कियाकि वाद भूमि मेहरदीन वल्द निजामदीन व नूर मोहम्मद वल्द सुलेमान व अहमदअली, हाकल अली पि0 शेर मोहम्मद को दिनांक 28.05.1963 को बअदालीत डी.सी. साहब भाखड़ कैम्प पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस नोहर द्वारा रोही मौजा चक 1 एन.एच.आर.–ए तहसील नोहर के प. नं. 306/437 के मु. नं. 44 के किला नं. 3, 8, 9 व 12 की 4 बीघा भूमि निलामी में आवंटित हुई थी और कब्जा काश्त वरवक्त निलामी आवंटन के पक्षकारों को सम्भला दिया गया था तब से लेकर आज तक उक्त भूमि इन्हीं के कब्जा काश्त में है। वाद भूमि के आवंटित खातेदार व टिनेन्ट केवल अपीलाण्टगण एवं उसके पूर्वज ही थे। जिसमें अपीलाण्ट संख्या 1 व 2 ता 11 के पिता, अपीलाण्ट सं0 12 के पति व अपीलाण्ट संख्या 13 ता 16 के पिता मेहरदीन व रेस्पो0 सं0 5 ता 9 के पिता नूर मोहम्मद प्रत्येक 1/4, 1/4 हिस्से के खातेदार कातश्कार थे अर्थात मेहरदीन वल्द निजामदीन का 1/4 हिस्सा व नूर मोहम्मद वल्द सुलेमान का 1/4 हिस्सा अहमद अली व हाकम अली पि0 शेर मोहम्मद वल्द सुलेमान का 1/4 हिस्सा अहमद अली व हाकम अली पि0 शेर मोहम्मद का 2/4 हिस्से खातेदार काश्तकार थे। इसिलए अपीलाण्ट व रेस्पो सं0 5 ता 9 उक्त भूमि के खातेदार काश्तकार हैं। अपीलाण्ट को बिना सुनवाई का अवसर दिये बिना किसी दस्तोवजी साक्ष्य की जांच किय रेस्पो0 सं0 1 ता 4 ने मातहत अदीलत से समस्त तथ्यों को छुपाकर अपीलधीन निर्णय व डिक्री पारित करवाये हैं। वरवक्त भू प्रबन्धक विभाग द्वारा अमलामाल राजस्व महकमा के अधिकारियों से मिली भगत कर रेस्पो0 सं0 3 व 4 ने वाद भूमि के सेटलमेन्ट पर्चा में कॉट छॉट करके अपना नाम कतई अनुचित व गलत तरीके से दर्ज करवा लिया जबकि रेस्पा0 सं0 3 व 4

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

राजस्थान के निवासी नहीं थे पंजाब राज्य के रहने वाले थे। दूसरे प्रान्त के होते हुए वाद भूमि अपने नाम कतई गलत दर्ज करवाई है। अपीलाण्ट व रेस्पोडेण्ट संख्या 5 ता 9 के पक्ष में सनद जारी हो चुकी है। आवंटन निरस्त करवाये बिना तथा किसी सक्षम अधिकारी व अदालत के समक्ष आवंटन को चैलेंज नहीं किया गया है। दूसरे राज्य में रहने वाल व्यक्तियों को कानूनी तौर पर भूमि आवंटित नहीं की जा सकती है ना ही पंजाब राज्य के व्यक्तियों को राजस्थान की भूमि का बेचान हो सकता है। इन कानूनी प्रावधानों नजरअंदाज करत हुए सेटलमेन्ट विभाग ने रेस्पो0 सं0 3 व 4 को गैर कानूनी लाभ पहुंचाते हुए उनका नाम दर्ज किया है जो अपीलाण्ट व रेस्पोडेण्ट सं0 5 ता 9 के हक हकूक के विपरीत एवं बैजा है तथा खिलाफ हे। जबकि यह सैटल लॉ है कि सटेलमैण्ट आफिसर एन्ट्री चैन्ज नही कर सकता है। मातहत अदालत ने उपरोक्त कानूनी बिन्दु को नजर अन्दाज करते हुए अपीलाण्ट को उनके हक हकूक से महरूम करते हुए अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित किये हैं। प्रश्गनत भूमि अपीलाण्ट को आवंटित हुई है तथा सेल रजिस्टर में भी उनका नाम किश्ते वगैरह हैं तथा खातेदारी सनद 5997 दिनांक 08.04.1976 को जारी की गई है। अपीलाण्ट व तरतीबी रेस्पो0 ने भूमि का बैचान कभी नहीं किया तथा दस्तावेजी साक्ष्य के तौर पर रेस्पो0 के पास कोइ दस्तावेज नहीं है। स्टेट लैण्ड होल्डर अर्जीदावा में उसका कोई जवाब नहीं लिया गया। इसके बावजूद उक्त भूमि रेस्पो0 सं0 के व 2 के नाम दर्ज कर दी गई। आवंटन को आजतक चैलेंज नहीं किया गया है। राजस्व न्यायलाय को मात्र यही देखना है कि किसी खातेदार काश्तकार को बिना किसी कारण के उनके पक्ष में हुए आवंटन को अकारण विधि विरूद्ध महरूम किन कारणों से किया गया है। मातहत अदालत ने अपीलाण्ट को सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया ना ही उन्हें जवाब प्रस्तुत करने का अवसर दिया तथा मातहत अदालत ने अपीलाण्ट्स को पक्षकार भी नही बनाया इससे अपीलाण्ट व तरतीबी रेस्पो0 के खातेदारी हकूक पर विपरीत व बैजा असर पड़ा है इसलिए मातहत अदालत की डिक्री से अपीलाण्ट ने बतौर तृतीय पक्ष दफा 96 सीपीसी का प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत की है। अपीलाण्ट अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं था इसलिए अपीलाधीन निर्णय का उसको ज्ञान नहीं था। अतः विलम्ब क्षमा करते हुए धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार करते हुए अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जावे। विद्वान अधिवक्ता ने अपने

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

कथनों के समर्थन में 2019 आरबीजे पेज 436, 2017 आरबीजे पेज 105, 1988 (1) आरएलआर पेज 609, 1984 आरएलआर पे 791, 2008 (1) आरआरटी पेज 151, 2002 आरआरडी पेज 692, 2017 आरबीजे पेज 274, 2017 आरबीजे पेज 162, 2001 आरआरडी पेज 133, 2001 आरबी पेज 272, 2001 आरआरटी पेज 514 के न्यायिक दृष्टान्त पेश किये।

4. विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने विधि अनुसार निर्णय पारित करने का कथन किया।

5. अपीलाण्ट एवं राजकीय अधिवक्ता की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

6. अपील में आये तथ्यों एवं दस्तावेजी साक्ष्य सेल रजिस्टर के अनुसार प्रश्नगत भूमि अपीलाण्ट को निलामी में आवंटित हुई। अपीलाण्ट एक अभिलिखित काश्तकार है। अपीलाण्ट जो कि एक अभिलिखित खातेदार कातश्कार है को पक्षकार बनाये बिना अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया गया है इसलिए अपीलाण्ट एक पीड़ित और प्रभावित पक्षकार है। अतः अपीलाण्ट का धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है। अपीलाण्ट को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाती है।

7. अपीलाण्ट अधीनस्थ न्यायलाय में पक्षकार नहीं था और अपीलाधीन निर्णय इसलिए उसे अपीलाधीन निर्णय का ज्ञान नहीं होना स्वाभाविक है। अतः अपीलाण्ट का धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए विलम्ब को क्षमा किया जाता है। अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

8. जहां तक गुणावगुण का प्रश्न है अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेण्ट संख्या 2 ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सन 1955 की धारा 53 के अन्तर्गत एक वाद यह कहते हुए प्रस्तुत किया कि वादी एवं प्रतिवादीगण सं0 1 ता 5 की मुश्तरका खाता की भूमि रोही मौजा चक नं. 1 एन.एच.आर.–ए के खाता संख्या 40/45 के प0 नं0 306/437 (44) कि. नं. 3/–253, 8/–253, 9/–253, 12/–253 कुल चार किता 1.012 है0 नहरी कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादी एवं प्रतिवादीगण ने वादग्रस्त भूमि का बाहमी तौर पर आपसी सहमति से बंटवारा किया हुआ है मुताबिक बंटवारानामा के वादी के कब्जा काश्त में कि0 नं0 3, 9 व 12 कब्जा काश्त में है तथा प्रतिवादीगण नं. 1 ता 5 के कब्जा में किला नं. 8 है जिसमें उन्होंने अपना रिहायशी मकान बना रखा है और इसी

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

अनुसार काश्त करते आ रहे हैं। विचारण न्यायालय ने वाद वादी डिक्री किया है।

9. अपील में अपीलाण्ट का कथन है कि उनके द्वारा **प्रश्नगत भूमि का कभी बेचान नहीं किया गया बल्कि प्रश्नगत भूमि मेहरदीन वल्द निजामदीन व नूर मोहम्मद वल्द सुलेमान व अहमद अली, हाकमअली पि0 शेर मोहम्मद को दिनांक 28.05.1963 को डी.सी. भाखड़ा कैम्प पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस नोहर द्वारा रोही मोजा चक 1 एच.एच.आर.–ए तहसील नोहर के प0 नं0 306/437 के मु. नं. 44 के किला नं. 3 की 1 बीघा, 8 की 1 बीघा, 9 की 1 बीघा, 12 की 1 बीघा कुल 4 बीघा भूमि निलामी में आवंटित हुई थी। जिसकी समस्त किश्तें जमा करवाई गई थी । उसकी सनद जारी हुई किश्तें अदायगी के बाद उनके नाम खातेदारी दर्ज की गई। अपीलाण्ट के उक्त तथ्यों की पुष्टि अपील में प्रस्तुत सेल रजिस्टर (भाखरा प्रोजेक्ट क्षेत्र में सरकारी भूमि की बिक्री का विवरण पत्र) से होती है, जिसमें मेहरदीन पुत्र निजामदीन, नूर मोहम्मद पुत्र सुलेमान, अहमद अली हाकम अली पि0 शेर मोहम्मद सा0 नोहर अंकित है। इससे स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि अपीलाण्ट को निलामी द्वारा अलॉट हुई थी। अपीलाण्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया है तो उसके पर कुठाराघात होने की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। इसलिए अपीलाण्ट एक प्रभावित पक्षकार है। अपीलाण्ट को वाद में पक्षकार बनाये बिना ही अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित किया गया है जो यथावत रखे जाने योग्य नहीं है।** अतः अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार किये जाने योग्य है एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर का अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री निरस्त किये जाने योग्य हैं एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य है कि अपीलाण्ट को वाद में पक्षकार संयोजित करते हुए उभयपक्षों को सुनवाई का समुचित अवसर देकर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे।

10. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार की जाती है तथा सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर का अपीलाधीन निर्णय 28.01.2011 एवं डिक्री दिनांक 28.03.2011 निरस्त किये जाते हैं। प्रकरण विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलाण्ट को वाद में पक्षकार संयोजित करते हुए उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर देकर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे। अपीलाण्ट अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 30.03.2026 को उपस्थित हो। अधीनस्थ

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रामणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 25.02.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया ।

(आशाराम डूडी)
आर.ए.एस
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Asha Ram Dudi
Date: 2020.03.12 16:15:58 IST
Reason: SelfAttested
Location: